Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 29–2022] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 19, 2022 (ASADHA 28, 1944 SAKA)

PART II

Notifications of Election Commission of India-Other Notifications and Republications from the Gazette of India

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली–110001

दिनांक : 18 मई, 2022
28 वैशाख, 1944 (शक)

आदेश

सं०76/भा०नि०आ०/आदे०/हरि०–वि०स०/48/2019/उ०अनु०–II.– **यतः,** आयोग ने हरियाणा राज्य के 48–उकलाना (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 27.09.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा विधानसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **श्रीमती भारती उकलाना** ने **निर्दलीय** उम्मीद्वार के रूप में पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम–निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के पत्र सं. **06 (Hisar) /HVSElec-Exp–2019/2332, दिनांक 04.06.2020** के जरिए **जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार,** हरियाणा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा राज्य के **48–उकलाना (अ०जा०) विधान सभा** निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्रीमती भारती उकलाना** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार, हरियाणा और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **श्रीमती भारती उकलाना** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.07.2020 को जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 07.07.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **श्रीमती भारती उकलाना** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें

और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, अभ्यर्थी **श्रीमती भारती उकलाना** को आयोग द्वारा जारी नोटिस को **उनके भाई श्री प्रदीप** ने दिनांक **19.07.2020** को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती **जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार, हरियाणा** द्वारा **दिनांक 17.08.2020 पत्र सं. निर्वाचन–2020/947** के अपने पत्र के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार, हरियाणा द्वारा दिनांक **30.06.2021** के अपने पत्र सं. **निर्वाचन–2021/730** के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **श्रीमती भारती उकलाना** ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्रीमती भारती उकलाना** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है किः–

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैय तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्द्वारा हरियाणा राज्य के **48–उकलाना (अ०जा०) विधान सभा** निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन–2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्रीमती भारती उकलाना, मकान नं0 700, ब्लॉक नंय 01, गली विश्वकर्मा व महाजनान उकलाना मंडी, उप–तहसील उकलाना, जिला–हिसार, हरियाणा** को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य–क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

एस० बी० जोशी,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi–110001

Dated: 18th May, 2022
28 Vaisakha., 1944 (Saka)

Order

No. 76/ECI/ORD/HAR-LA/48/2019/N.S.-II.— WHEREAS, the Election Commission of India had declared to hold General Election to Legislative Assembly of State of Haryana from **48-Uklana (SC) Assembly Constituency** *vide* its Notification dated **27.09.2019** and **Ms. Bharti Uklana** had contested the aforesaid election as an **Independent** candidate;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the

date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77;

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the **District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, Hisar**, Haryana through the Chief Electoral Officer's letter No. **06(Hisar)/HVSElec.Exp-2019/2332, dated 04.06.2020, Ms. Bharti Uklana** the contesting candidate from **48-Uklana (SC) Assembly Constituency** of Haryana has failed to lodge any account of her election expenses as required by law;

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the **District Election Officer, Hisar** Haryana and the Chief Electoral Officer, Haryana, a Show Cause notice **dated 07.07.2020** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Ms. Bharti Uklana** for non submission of any account of Election expenses required by law;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said **Show Cause Notice dated 07.07.2020, Ms. Bharti Uklana** was directed to submit her representation in writing in the Commission explaining the reasons for non submission of accounts and also to lodge her accounts of election expenses/rectify the defects in her accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **her brother Sh. Pradeep** on **19.07.2020**. Acknowledgement receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by **District Election officer, Hisar** *vide* his letter **No. निर्वाचन-2020/947 dated 17.08.2020;**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **DEO, Hisar** *vide* his letter No**. निर्वाचन - 2021/730 dated 30.06.2021,** it has been stated that **Ms. Bharti Uklana** has not submitted any representation or a statement of correct account of her election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, she has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Ms. Bharti Uklana** has failed to lodge an account of election expenses manner required by law and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; **and**

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Ms. Bharti Uklana, resident of H.No. 700, Block No.01, Gali Vishav Karma & Mahajanan Ukkala Mandi, Sub Tehsil-Uklana, Distt-Hisar, Haryana** the contesting candidate for the General Election to the Haryana Legislative Assembly, 2019 from **48-Uklana (SC) Assembly Constituency** to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

S. B. JOSHI,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

9728—C.S.—H.G.P., Pkl.